



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8656/2026
CNR: RJHC010611052026
URN: CRLMB / 18752U / 2026

Imran S/o Aamin Kha, Aged About 26 Years, R/o Nai Masjid Ke
Piche Wali Gali, Bandra Bas, Bikaner (Raj.) (At Present Lodged In
Central Jail Bikaner)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7962/2026
CNR: RJHC010582312026
URN: CRLMB / 17376U / 2026

Salman Alias Rijwan S/o Jalaludin, Aged About 28 Years, Resident
Of Near Manav Bharti School , Police Station Gangashar, District
Bikaner. (Lodged In Dist. Jail, Bikaner)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Varun Arora On VC Mr. Bhagirath Ray Bishnoi
For Respondent(s)	:	Mr. Narendra Gehlot, PP With Mr. O.P. Choudhary

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

10/07/2026

01. प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से जमानत के पृथक-पृथक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना कोटगेट, जिला बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 150/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 115(2), 126(2), 189(2), 61(2)(ए) बी.एन.एस. के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुए हैं।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण द्वारा घटनास्थल पर आहत अल्ताफ खां के चोटें कारित नहीं की गई है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण काफी समय से न्यायिक



अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण—अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थीगण—अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में आहत अल्ताफ खां के बयान का अवलोकन किया जिसमें दिनांक 27.05.2026 को 5:35—5:40 पी.एम. को पेट्रोल पम्प के पास पहुंचने पर 4—5 मोटरसाइकिल पर खालिद, अमन, समीर भाटी, राहुल ताहिर व 6—7 अन्य व्यक्तियों द्वारा आकर रोकना व लोहे के पाईप व सरियों से मारपीट करना बताया है। प्रार्थीगण—अभियुक्तगण का नाम मारपीट करने वालों में आहत द्वारा नहीं बताया गया है।

06. ऐसी अवस्था में बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण—अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थीगण—अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण—अभियुक्तगण **इमरान पुत्र अमिन खां व सलमान उर्फ रिजवान पुत्र जलालदीन** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक प्रार्थी—अभियुक्त एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास—पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J